उत्तर प्रदेश शासन
कारागार प्रशासन एंव सुधार अनुभाग-4
संख्या-85/2017/1161//22-4-17-48(110)/15
लखनऊ : दिनांक- 12 दिसम्बर,2017

शुद्धि-पत्र

शासनादेश संख्या-78/2017/944/22-4-17-48(110)/15, दिनांक-04.12.2017 के प्रस्तर-2 में उल्लिखित जनपद ललितपुर में 4500 बंदियों की निरूद्धि क्षमता की उच्च सुरक्षा कारागार के निर्माण ग्राम-बुढ़वार, परगना व तहसील-ललितपुर की कुल 100 एकड़ भूमि में से 51.835 एकड़ कृषकों की भूमि क्रय करने हेतु रू0 11,49,69,168/- (रूपया ग्यारह करोड़ उन्चास लाख उन्हत्तर हजार एक सौ अड़सठ मात्र) की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए संगत मद में अवशेष धनराशि रू0 9,55,16,000/-(रूपया नौ करोड़ पचपन लाख सोलह हजार मात्र) की स्वीकृति के स्थान पर धनराशि रू0 9,55,15,530/- (रूपया नौ करोड़ पचपन लाख पन्द्रह हजार पॉच सौ तीस मात्र) पढ़ा जाय।

2- कृपया शासनादेश दिनांक-04.12.2017 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

करूणेश कुमार सिंह
अनु सचिव।

संख्या-85/2017/1161(1)/22-4-17-तददिनांकित-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महानिरीक्षक कारागार, प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ।
(2) प्रधान महालेखाकार(सिविल आडिट) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(3) महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(4) जिलाधिकारी, ललितपुर।
(5) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(6) निदेशक, वित्तीय सांख्किीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
(7) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय, लखनऊ।
(8) निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0 शासन।
(9) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग-1/2
(10) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

करूणेश कुमार सिंह
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in